Form No 111

फर्म अहकाम

(नियम 15)

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी मुकामः– राजाखेडा

हरप्रसाद बनाम गीतमसिंह वगै0

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र U/S 212 R.T.Act नम्बर 104 सन् 23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10..2023	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं सायल के सुना गया। प्रथम दुष्टया केस एंव सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसालयान को दिनांक 08.11.2023 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0नं0 1754 स्थित ग्राम सिंघावली कलां तहसील राजखेडा पर से 5 फुट ईंट भट्टा हेतु थपाई के लिए मिट्टी नहीं उठावें, तथा फसल में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहूँचावें। इस संबंध में उन्हे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 08.11.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.11.2023 को पेश हो। T	
25/10/23	पत्रावली शामिल के प्रार्थना पत्र पर मूल राजस्व वाद के साथ दफ्तर से पेश हुई। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अपना मूल वाद खारिज करा लिया गया है। अतः मूल वाद की रोशनी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भी खारिज किया जाता है। दिनांक 6/10/2023 को जारी T.I. की खारिजी बाबत परवाना तहसीलदार राजाखेडा को जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। T	नि० हरप्रसाद Int [signature] 25/10/23